


: , :
-
:
:



: हनु दुस् तान केहर- कअभभावककेदलि पर हर महीने कजोरदार थपू पड़ पड़ता है, कअभभावकबुरी तरह बलिबलिा जाता है। लेकिन ऐसे तमाचों के बर्दाशू त कर लेता है अभभावक। यह तमाचे उसकेबच् चों केस् कूल केप्रबंधककेहोते हैं। करारे तमाचे इतना ही नहीं, इन तमाचों के बदले हर अभभावकएसे स् कूली प्रबंधकों केहाथों में नोटों की गड्डी भी थमा देता है। राजी-खुशी होता है यह भुगतान। सरिफइस राहत वाले आशू वासन केला। कउसक बच् चा पूरी तरह सुरक्षति रहेगा, उसक भवषि य सुनहला बना दिया जा गा और बाद में वह उसकेसपनों की जनि दगी में सैर कर सकेंगे। लेकिन इसी सपने, राहत और आशू वासनों केगुबार में अभभावकलगातार लुटता-पटिता ही रहता है। स् कूलों की मांग लगातार बढ़ती ही जाती है और जल् दी ही हर अभभावककिसी गधे की तरह अपने बच् चों के पालने नुमा मजबूरी में बकिन्तबाह होना शुरू कर देता है।

यह हकीकत है इस देश केअभभावकों की बच् चों केसपनों के सुधारने-तराशने की आपाधापी में हर अभभावकयह भूल जाता है कउसकेदायति वों के साथ ही साथ उसकेहकभी इस देश में मौजूद हैं। इन् ही हकों के जान-पहचान कर कोई भी अभभावकअपने बच् चों के लुटेरे स् कूली प्रबंधकों की गुण डगर्दी, लूट और माफियागरी पर तत् कल अंकुश लगा सकता है। मसलन, नौ साल पहले सर्वोच् च न यायालय से जारी हुआ कआदेश, जिसमें अभभावकों केसुकून की गारंटी दी गयी है।

बदायू केजांबाज पत्रकार और नवयुवक ने आम बेहाल अभभावकों के त्राण दलाने केला। बाक्यदा कअभयान छेड़ दिया है। अब आम अभभावकों की यह जमि मेदारी है कवे लोग भी के
के
अभयान में सहभागी बनें, और स् कूली प्रबंधकों की लूट क वरिोध करने केला। अपना योगदान करें।
के
क संक्ल प ऐसे ही स् कूली प्रबंधकों की लूट पर अंकुश और अराजक्ता पर स् थाई प्रतबिंध लगाना ही है।

इसकेला राहुल ने कअपील जारी की है। आप भी देखयि:- आप मतिर लोगो से क मदद चाहि , 9 साल पहले सुप्रीम केरट ने कआर्डर कया था, स्कूल केबारे में।

जसिमें साफसाफहुक् म जारी कया गया था क:-

Written by कुमार सौवीर
Saturday, 01 April 2017 11:12

1. स्कूल 11 महीने के फीस लेंगे,
2. स्कूल तमिहाही के आधार पर फीस न लेंगे। बल्कि चक्र महीने के हिसाब से लेंगे।
3. स्कूल 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकते हैं।
4. स्कूल वाले किसी फर्निचर दुकान से किताबें लेने के बाध्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही स्कूल से भी किताबें बिक्री नहीं कर सकते हैं।
5. जिस बोर्ड से मान्यता है, उसमें बोर्ड से मान्यता वाली किताबें ही पढ़ाई जाएं, यह नहीं प्राइवेट लोगो की किताबें।

सर अगर यह आर्डर मल्लि जाये, बहुत सहूलियत होगी।

क्योंकि बूचखाने भी अगर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रोक लग सकती है। तो इन कुत्सुमुत्तों की तरह उगने वाले इन प्राइवेट स्कूल पर क्यों नहीं।

आप लोगो से माफी चाहता हूं, आपके टैग करने के लिए।

सुप्रीमकोर्ट ने क्या रूलिंग बनाई थी ?



और तो और नज्जि स्कूलों की मनमानी के चलते तकरीबन 9 साल पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में गर्मियों की छुट्टी में ली जाने वाली फीस पर प्रतिबन्ध लगाते हुए कहा था कि इस दौरान जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है तो उसकी फीस क्यों ली जाती है. मालूम हो कि कोर्ट ने छुट्टी के दौरान ली जाने वाली फीस पर रोक लगाते हुए प्राइवेट स्कूलों और मशिनरी स्कूलों पर ये रोक लगायी थी. यही नहीं इसके साथ इस तरह के स्कूलों और कलेजों पर लगाम कसते हुए कोर्ट ने ये भी आदेश पारित किये थे कि प्राइवेट स्कूल और कलेज अभिवावकों को इस बाबत मजबूर नहीं कर सकते कि वह एक विशेष दुकान से ही अपने बच्चों की कॉपी-किताबें खरीदें.

